न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू–अभिलेख अधिकारी बालोतरा

पीठासीन अधिकारीः– अशोक कुमार, आर.ए.एस.
राजस्व आवेदन संख्या :– 91/2023
जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2023/141

प्रार्थीगण बनाम **विप्रार्थीगण**

1.हनुमानराम पुत्र जुगराज
जाति प्रजापत निवासी बालोतरा
तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा
2.खेरूनी बानो पत्नी सफी जाति घोसी मुसलमान निवासी बालोतरा के वारिसान
2/1.सफी मोहम्मद पुत्र गफुरखां
2/2.इमरान पुत्र सफी मोहम्मद
2/3.युनुस पुत्र सफी मोहम्मद
जाति घोसी (ग्वाला)
निवासी मदर टेरेसा स्कुल के पास
बालोतरा तहसील पचपदरा
3.नूरजहां पत्नी युसुफ
4.मोयल मेमूनाबानो पत्नी बाबूखां
5.मोयल सलमा बानो पत्नी मुसाखां
6.सायरों बानों पत्नी मोहम्मद
7.मोहम्मद फारूख पुत्र मोहम्मद
8.मों. हारून पुत्र मोहम्मद
9.मोयल युसुफ पुत्र गफुरजी
जाति घोसी मुसलमान
निवासी बालोतरा तहसील पचपदरा
जिला बालोतरा

1.नगर परिषद बालोतरा जरिए आयुक्त
नगर परिषद बालोतरा
2.अब्बासखां पुत्र पीरूखां
जाति मोयला मुसलमान
निवासी बालोतरा तहसील पचपदरा
3.टीकमाराम पुत्र भेराराम जाति जाट
निवासी नेवाई तहसील पचपदरा
4.फकरूदीन पुत्र पीरूखां
जाति मोयला मुसलमान निवासी बालोतरा
तहसील पचपदरा
5.याकुबखां पुत्र पीरूखां
जाति मोयला मुसलमान
निवासी बालोतरा तहसील पचपदरा
6.सलीम खिलेरी पुत्र समसुदीन
जाति घोसी मुसलमान
निवासी बालोतरा तहसील पचपदरा
7.हनीफखां पुत्र पीरूखां
जाति मोयला मुसलमान
निवासी बालोतरा तहसील पचपदरा
8.हीरादेवी पत्नी भागीरथराम
जाति विश्नोई निवासी नेवाई
तहसील पचपदरा जिला बालोतरा
9.राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार
पचपदरा व जिला बालोतरा

उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

<u>राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956</u>

उपस्थिति–
1.श्री ओमप्रकाश डाबी अधिवक्ता प्रार्थीगण
2.विप्रार्थी एकपक्षीय

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

आदेश

दिनांक 06.12.2024

1.संक्षिप्त में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम बालोतरा पटवार हल्का बालोतरा द्वितीय तहसील पचपदरा में खेत खसरा संख्या 396 क्षेत्रफल 1.1129 हैक्टेयर व खसरा संख्या 881/398 क्षेत्रफल 5.3874 हैक्टयर एवं खसरा संख्या 883/399 क्षेत्रफल 4.7803 हैक्टयर भूमि अवस्थित है। जिस पर प्रार्थीगण का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रार्थीगण की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। वर्षा ऋतु के समय प्रार्थीगण की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा रहता है। अतः प्रार्थीगण द्वारा ग्राम बालोतरा पटवार हल्का बालोतरा द्वितीय तहसील पचपदरा में खेत खसरा संख्या 396 क्षेत्रफल 1.1129 हैक्टेयर व खसरा संख्या 881/398 क्षेत्रफल 5.3874 हैक्टयर एवं खसरा संख्या 883/399 क्षेत्रफल 4.7803 हैक्टयर भूमि की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया है।

2.प्रार्थीगण का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिए रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थी को सुनवाई के पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने पर उनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

3.हमनें प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस सुनी। प्रार्थीगण अधिवक्ता ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया कि प्रार्थीगण की सह–खातेदारी भूमि ग्राम बालोतरा पटवार हल्का बालोतरा द्वितीय तहसील पचपदरा में खेत खसरा संख्या 396 क्षेत्रफल 1.1129 हैक्टेयर व खसरा संख्या 881/398 क्षेत्रफल 5.3874 हैक्टयर एवं खसरा संख्या 883/399 क्षेत्रफल 4.7803 हैक्टयर भूमि अवस्थित है। जिस पर प्रार्थीगण का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है,प्रार्थीगण की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थी की भूमि आई हुई है,वर्षा ऋतु के समय प्रार्थीगण की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि की पुरानी माढो को हटाने का प्रयास करते रहते है तथा प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में आये दिन अवैध कब्जा करने का प्रयास किया जाता है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान में तनाजा रहता है। विप्रार्थी

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

झगड़ालू प्रवृति का होने के कारण आये दिन प्रार्थीगण को उसकी खातेदारी भूमि की सीमाओं को लेकर विवाद करता रहता है। प्रार्थीगण द्वारा विप्रार्थी को मना करने के उपरांत भी विप्रार्थी प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में दखलदान्जी करने में बाज नहीं आ रहे है। अंत में निवेदन किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम बालोतरा पटवार हल्का बालोतरा द्वितीय तहसील पचपदरा में खेत खसरा संख्या 396 क्षेत्रफल 1.1129 हैक्टेयर व खसरा संख्या 881/398 क्षेत्रफल 5.3874 हैक्टयर एवं खसरा संख्या 883/399 क्षेत्रफल 4.7803 हैक्टयर भूमि की नेखमबन्दी के आदेश फरमावे जावे।

4.हमनें प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड,दस्तावेजात एवं सीमाज्ञान रिपोर्ट का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया तथा विधि के परिप्रेक्ष्य में तथ्यों पर विवेचन किया। जिसमें पाया कि ग्राम बालोतरा पटवार हल्का बालोतरा द्वितीय तहसील पचपदरा में खेत खसरा संख्या 396 क्षेत्रफल 1.1129 हैक्टेयर व खसरा संख्या 881/398 क्षेत्रफल 5.3874 हैक्टयर एवं खसरा संख्या 883/399 क्षेत्रफल 4.7803 हैक्टयर भूमि प्रार्थीगण की सह–खातेदारी में दर्ज है,जो पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी संवत 2079–2082 का अवलोकन करने से स्पष्ट है। इस प्रकार प्रार्थीगण विवादित भूमि के रिकार्डड खातेदार है,और रिकार्डड खातेदार अपनी भूमि की नेखमबंदी करवानें के लिए स्वतंत्र है,जिसके प्रार्थी हकदार प्रतीत होते है। हस्तगत प्रकंरण के निस्तारण के लिए हम यहां धारा 128 आर.एल.आर. उल्लेख करना उचित समझते है,जिसके अनुसार :–**धारा 128 सीमा विवाद**–सम्बन्धी समस्त विवाद भू–अभिलेख अधिकारी द्वारा धारा 111 में निर्धारित रीति से तय किए जायेगें:

1.(परन्तु खेतो के सीमाओं सम्बन्धी आवेदन–पत्र,जहां यधपि ऐसी सीमा के विषय मे कोई विवाद विधमान नहीं हो किन्तु सही सीमा चिन्हों के अभाव में ऐसी विवाद उठानें की सम्भावना हो तो तहसीलदार को ही पेश क़िए जायेगें तथा उसी के द्वारा निपटाये जायेगें)

उक्त प्रावधान से स्पष्ट है,कि सीमाओं में विवाद की स्थिति होने पर विवादो का निपटारा न्यायालय हाजा के स्तर से किया जाना है। पत्रावली पर उपलब्ध मौका फर्द दिनांक 03.2.2021 व 18.5.2022 के अवलोकन से हस्तगत प्रकरण में विचाराधीन आराजी की सीमाओं में विवाद होने का उल्लेख नहीं है। ऐसी स्थिति में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 128(1) के अनुसरण में निर्विवाद मामलो को तहसीलदार द्वारा निपटाया जाना है,अतः हस्तगत प्रकरण में हम प्रार्थीगण को

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

अपनी खातेदारी भूमि के सीमाज्ञान बाबत् तहसीलदार के समक्ष प्रार्थना–पत्र/आवेदन प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करना उचित समझते हैं।

5.उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय हाजा इस निष्कर्ष पर पंहुचा है,कि प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि की पैमाईश करवानें का हकदार है। ऐसी सूरत में प्रार्थीगण का आवेदन आशिंक स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

–:आदेश:–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः आवेदन–पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 आशिंक रूप से स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम बालोतरा पटवार हल्का बालोतरा द्वितीय तहसील पचपदरा में खेत खसरा संख्या 396 क्षेत्रफल 1.1129 हैक्टेयर व खसरा संख्या 881/398 क्षेत्रफल 5.3874 हैक्टयर एवं खसरा संख्या 883/399 क्षेत्रफल 4.7803 हैक्टयर भूमि की पैमाईश करते हुए विधिनुसार कार्रवाई करने हेतु तहसींलदार पचपदरा को निर्देशित किया जाता हैं। यदि विवाद हो,तो पालना रिपोर्ट पेश करे।

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

आदेश आज दिनांक 06-12-2024 लिखा जाकर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा
06/12/24
उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा